

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



APP
Ctrl

जज अदालत

SDO

कलेक्टर कलिया

मुकाम

बसवा

दीपा सेनी वगैरह

बनाम

कहैयालाल वगैरह

हस्त मुकदमा

नं.

सं.

वा उदघोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

174/2023

हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
-----	----------------------------------	---

15.6.2023

प्रश्नगत प्रकरण दावा वास्ते उदघोषणा, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण दीपा सेनी पत्नी स्व.छोटेलाल सेनी वगैरह जाति माली निवासी देवतलाव, बसवा द्वारा जरिये एडवोकेट श्री सत्यनारायण शर्मा एवं मुकेश चंद शर्मा के विरुद्ध प्रतिवादीगण कहैयालाल पुत्र पांचू वगैरह जाति माली निवासी देवतलाव मौहल्ला, बसवा के इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बसवा के खाता संख्या 132 के खसरा नंबर 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195 कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हैटयर एवं बसवा के ही खाता संख्या 133 खसरा नंबर 8431, 8449, 8450, 8451 कुल किता 4 कुल रकबा 1.13 हैटयर भूमि मुतदाविया है। इस भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्सानुसार काबिज फाश्त हैं। भूमि मुतदाविया का सरस नरस तकास्मा एवं अन्य राजस्व कार्यवाहियों के लिये दावा पेश किया है।

अतः प्रकरण दर्ज रजि. होकर, प्रतिवादीगण को नोटिस वास्ते तामील रजिस्टर्ड ए.डी. के जारी होकर, पत्रावली आगामी तारीख 3.8.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दोसा)

3/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/प्र.उ. सं० राज्य कार्य में व्यस्त होने से अनसल तारीख पेशी हो गई मत्त आदेश की पालना में दिनांक... 4/8/23 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीटर

4/8/23

पत्रावली पेश हुई, Advocate श्री मुकेश चन्द शर्मा उपस्थित झार, प्रकरण Not Press में खारिज करने का निवेदन किया प्रकरण Not Press में खारिज किया जाकर, कैसल शुमार कर काखिल दफ्तर कर नम्बर से कम भी जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दोसा)

Not press

4-8-23
(मुकेश चन्द शर्मा इंड.)